

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/2024/

दिनांक:-

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्ती-2023 के सन्दर्भ में कर्नाटक राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं की जांच कार्य हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 140 दिनांक 15.03.2024 की निरन्तरता में डॉ. सीताराम पारीक, प्रमुख चिकित्सक (दन्त), जिला चिकित्सालय, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वे कर्नाटक राज्य के सम्पर्क कर आये प्रतिनिधि/अधिकारी से सम्पर्क/फोलोअप कर सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट निदेशक (शीफू) को तत्काल प्रस्तुत करावें।

उपरोक्त अधिकारी को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. एवं अन्य किसी व्यय/शुल्क का भुगतान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 22/05/2024

क्रमांक: अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/2024/393

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2,3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, जन स्वास्थ्य, मुख्यालय।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 4028-33 दिनांक 22.05.2024 के क्रम में।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित अधिकारी को उक्त कार्य हेतु पाबंद करते हुये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर में तत्काल उपस्थित होने एवं उक्त के पश्चात संबंधित राज्य हेतु प्रस्थान करने के संबंध में कार्यमुक्त करने के आदेश प्रसारित करवाकर, प्रति शिफू को प्रेषित करावें।
7. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करवाकर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर